संख्या–वे0आ0–2-1117/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आबकारी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 05 अगस्त, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) आबकारी विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा आबकारी विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) आबकारी सिपाही के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 2750–4400 (सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800/–) के स्थान पर संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रु0 3050–4590 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/–) अनुमन्य कराया जाय और उक्त पदों हेतु निम्न व्यवस्था की जाय :––

(क) भर्ती हेतु वर्तमान में निर्धारित शारीरिक मापदण्डों एवं चयन हेतु शारीरिक परीक्षा को यथावत् बनाये रखते हुए शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष निर्धारित की जाय।

(ख) आबकारी सिपाहियों को स्वतंत्र रूप से Preventive तथा Detective कार्यो हेतु अधिकृत करने की व्यवस्था नियमों में की जाय।

(2) उपर्युक्तानुसार निर्धारित अर्हता के साथ ही अतिरिक्त विशिष्ट अर्हता विभाग की विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित की जा सकती है।

(3) प्रधान आबकारी सिपाही तथा ताड़ी पर्यवेक्षक के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रु0 3050–4590 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/–) के स्थान पर संशाधित/उच्चीकृत वेतनमान रू0 3200–4900 (पुनरीक्षित वेतन

संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/–) निर्धारित किया जाय।

(4) उप आबकारी निरीक्षक के पद पर अनुमन्य वेतनमान रू0 3200–4900 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/–) के स्थान पर संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रू0 4000–6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/–) निर्धारित किया जाय।

(5) उप आबकारी निरीक्षक के पदों पर 10 वर्ष की सेवा वाले हाईस्कूल उत्तीर्ण आबकारी सिपाहियों एवं ताड़ी पर्यवेक्षकों में से शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।

(6) आबकारी निरीक्षक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के स्थान पर संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) अनुमन्य कराया जाय। आबकारी निरीक्षक के 90 प्रतिशत पद स्नातक उपाधि रखने वाले अभ्यथियों से लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत उप आबकारी निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायें। आबकारी निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मापदण्ड/अर्हकारी दक्षता, पुलिस विभाग के उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शारीरिक मापदण्ड/अर्हकारी दक्षता से कम निर्धारित न की जाय।

(7) आबकारी निरीक्षक का पदनाम यथावत् बनाये रखते हुए इस पद को राजपत्रित घोषित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जाय।

(8) समिति द्वारा पूर्व उप प्रस्तरों में की गयी संस्तुति के अनुसार संबंधित पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किये जायें।

(9) आबकारी विभाग में उपलब्ध सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों पर समिति द्वारा पूर्व में दी गयी संस्तुतियॉ लागू होंगी।

(10) आबकारी विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या—वे0आ0—2— 1117 (1) / दस—54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।